न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम जीवाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी
	प्रा०पत्र न. — 128/2024	

07.04.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित व वकील अप्रार्थीगण भी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने एतराज प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सिमारला के अपनी भूमि खसरा नम्बर 39 की उत्तरी सीमा में प्रचलित रास्ते के 1/2 हिस्से को गै0 मु0 रास्ते के अन्दर देने बावत सहमति पत्र पेश किया एंव प्रार्थी श्री श्योनारायण पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सिमारला कोटडी की ओर से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने ग्राम सिमारला के अपनी भूमि खसरा नम्बर 433/38 की दक्षिणी सीमा के 1/2 हिस्से को गै0मु0 रास्ते के अन्दर देने बावत सहमति पेश की। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता हेतु पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित व वकील अप्रार्थीगण भी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दौराने बहस अवगत कराया था कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव में मूल भूमि खसरा नम्बर 38 व 39 में आंशिक संशोधन करते हुए अप्रार्थीगण श्योनारायण पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर व जीवाराम, मुक्तिलाल पुत्रगण कालूराम जाति बलाई निवासीगण सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा पृथक–पृथक पेश किये गये प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किये जाकर भूमि खसरा नम्बर 38 के [illegible] 433/38 व 39 में काटे जाने वाले प्रचलित रास्ता [illegible] दोनों [illegible]फ से आधी–आधी भूमि (0.034 – 0.034 [illegible]) रास्ते के रूप में [illegible] जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कि[illegible] जाने के आदेश पारित [illegible] जाने का निवेदन किया। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में अंकित कुल 19 खसरा नम्बरान् में से अप्रार्थीगण को केवल मात्र

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम मोतीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्ताव अ.मं. – 12/2/2024	

खसरा नम्बर 38 व 39 में प्रस्तावित किये गये रास्ता से ही आपत्ति है एवं अन्य किसी खसरा नम्बरान में काटे जाने वाले रास्ते से कोई आपत्ति नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 39 व 38 के बट्टा नम्बर 433/38 की दोनों सीमाओं की तरफ से अपनी खातेदारी भूमि में से बराबर–बराबर आधा–आधा रास्ता काटे जाने हेतु सहमति व्यक्त की है तथा उक्त खसरा नम्बरान् में शेष आधा रास्ता सम्बन्धित खातेदार श्योनारायण पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सिमारला कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर ने अपनी खातेदारी भूमि में से काटे जाने हेतु लिखित में सहमति दी है। जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

हमने प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर व वकील अप्रार्थीगण की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्राम सिमारला कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 249, 250, 171, 172, 173, 166, 165, 149, 141, 139, 138, 59, 58, 56, 38, 39, 24, 22 व 20 में से मौके पर मौजूद प्रचलित रास्ता जो आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से होकर है। उक्त प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाया जाना प्रकट होता है तथा उक्त प्रचलित रास्ते को लेकर सम्बन्धित खातेदारान् में से दो खातेदारान् के [illegible] से उनको नोटिस जारी किये जाकर विधिवत [illegible] उन[illegible]पक्ष सुना गया है। सम्बन्धित आपत्तिकर्ता [illegible] भूमि खसरा नम्बर 38 व 39 में आपसी सहमति बन जाने [illegible] अन्य समस्त खातेदारान् के उक्त प्रचलित रास्ते हेतु सहमत होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested

–लगातार–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम जारी हुए
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम जीवाराम पृ.पत्र ... - 128/2024	

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :– राजस्व ग्राम सिमारला (कोटडी) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 1.55 हैक्टर में से 0.084 हैक्टर, 250 रकबा 0.85 हैक्टर में से 0.070 हैक्टर, 171 रकबा 1.34 हैक्टर में से 0.038 हैक्टर, 173 रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.034 हैक्टर, 172 रकबा 0.56 हैक्टर में से 0.029 हैक्टर, 166 रकबा 0.88 हैक्टर में से 0.048 हैक्टर, 165 रकबा 0.78 हैक्टर में से 0.046 हैक्टर, 149 रकबा 1.48 हैक्टर में से 0.106 हैक्टर, 141 रकबा 1.06 हैक्टर में से 0.073 हैक्टर, 139 रकबा 1.04 हैक्टर में से 0.035 हैक्टर, 138 रकबा 1.51 हैक्टर में से 0.062 हैक्टर, 59 रकबा 2.13 हैक्टर में से 0.091 हैक्टर, 58 रकबा 2.05 हैक्टर में से 0.106 हैक्टर, 56 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.074 हैक्टर, 433/38 रकबा 0.75 हैक्टर में से 0.036 हैक्टर, 39 रकबा 1.10 हैक्टर में से 0.034 हैक्टर, खसरा नम्बर 433/38 रकबा 1.0500 हैक्टर में से 0.034 हैक्टर, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.70 हैक्टर में से 0.076 हैक्टर, 20 रकबा 1.89 हैक्टर में से 0.036 हैक्टर, 22 रकबा 1.01 हैक्टर में से 0.068 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 433/38 व 39 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त दोनों खसरा नम्बरान् में से रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि दोनों तरफ के खातेदारान् में आपसी सहमति बनने से दोनों खातेदारान् के हिस्से में आधी–आधी (0.034 हैक्टर प्रत्येक रास्ते में रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम जीवाराम

हुक्म यो कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा० पत्र मुता०- 128/2024

रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:51:47 IST
Reason: SelfAttested